41–(08)–33–2018

पटना में दिनांक–20 मार्च, 2018 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1. विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर में साईबर क्राईम यूनिट के गठन हेतु पद सृजन के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

2. पथ प्रमंडल, अररिया अंतर्गत जहाँपुर (NH-327E)–सोहन्दर–उरलाहा–हसनपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 26.25 (कुल 26.25 कि०मी० पथांश लम्बाई) में पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 7602.31 लाख (छिहत्तर करोड़ दो लाख ईक्तीस हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

2. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

3. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु संशोधन के संबंध में।

3. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4. बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2018 की अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

4. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–6526/2007 में दिनांक 09.07.2012 को पारित न्यायादेश के क्रम में बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय के आर०डी०एस० कॉलेज, मुजफ्फरपुर में मनोविज्ञान तथा रसायनशास्त्र विभाग के लिए प्रयोगशाला प्रभारी हेतु श्रीमती सती सिन्हा के लिए दिनांक 21.12.1981 से 30.06.2012 तथा श्री प्रभुशरण वर्मा के लिए दिनांक 08.02.1982 से दिनांक 31.10.2013 की अवधि हेतु अधिसंख्य पद सृजित किये जाने के संबंध में।

5. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

6. राज्य में स्थित सैनिक स्कूल, गोपालगंज के स्थायी भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त विद्यालय को पूर्व में आवंटित की गयी राशि सहित प्रथम चरण में कुल–32,37,00,000/–(बत्तीस करोड़ सैतिस लाख) रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति एवं 19,46,68,643/–(उन्नीस करोड़ छियालीस लाख अड़सठ हजार छः सौ तैतालिस) रूपये की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

7. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना को कॉरपस फण्ड के गठन हेतु रू० 31,10,00,000/–(एकतीस करोड़ दस लाख) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

8. बिहार राज्य में आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण एवं भ्रष्टाचार उन्मुलन हेतु आर्थिक अपराध इकाई में अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई के एक गैर संवर्गीय पद के सृजन की स्वीकृति। — 8. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत पटना समाहरणालय परिसर में प्रस्तावित नये समाहरणालय भवन के निर्माण हेतु कुल ₹ 186.42 करोड़ (एक अरब छियासी करोड़ बयालीस लाख रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

10. भागलपुर के बुनकरों को राहत पहुंचाने एवं विद्युत बकाया राशि की वसूली हेतु One Time Settlement Scheme (OTS) कंडिका–7 के अनुसार लागू करने के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

11. बिहार राज्य चीनी निगम लि० की लोहट इकाई में पड़े एक अदद् Steam Locomotive (No. 253) को पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा जक्शन पर Heritage के रूप में रखने हेतु पूर्व मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर अंचल के मौजा–पिलखी, थाना नं०–484, खाता सं०–24 के खेसरा सं०–2121, 2164, 2282, 2301, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2335, 2367 एवं 2376 का रकबा क्रमशः 0.09, 0.16, 0.48, 0.56, 0.13, 0.17, 0.11, 0.11, 0.18, 1.175, 0.46 एवं 1.24 एकड़ कुल रकबा–4.865 एकड़ बकाश्त सरकारी भूमि, 60,000/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 4.865 एकड़ भूमि की सलामी 2,91,90,000/– सलामी एवं सलामी का पांच प्रतिशत व्यावसायिक लगान अर्थात 14,59,500/–रू० का 25 गुणा अर्थात 3,64,87,500/– रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 6,56,77,500/–(छः करोड़ छप्पन लाख सतहत्तर हजार पॉच सौ) रू० के भुगतान पर भूमि बैंक परियोजना हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में।

12. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की माँग सं०–40 मुख्य शीर्ष– 2029 विपत्र कोड–40–2029001040001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन शीर्ष (0101–0108) से संविदा सेवाएँ (2802) विपत्र कोड–40–2029001040001 में ₹40,00,00,000/– (चालीस करोड़) मात्र के पुनर्विनियोग हेतु बजट मैनुअल, 2016 की अधिसूचना सं०–ब०/17/बी०एस०जी०–426/2013/150, दिनांक–01.02.2016 के अध्याय–6– बजट का क्रियावयन की कंडिका–99(क) को शिथिल करने के संबंध में।

13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. बक्सर जिलान्तर्गत डुमरॉव अंचल के मौजा–डुमरॉव, थाना नं०–168, वार्ड नं०–04, खाता सं०–381, खेसरा सं०–1308 एवं 1310, रकबा क्रमशः–3.6650 हेक्टेयर एवं 6.0400 हेक्टेयर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की भूमि में से 6.70 एकड़ भूमि डुमरॉव व्यवहार न्यायालय एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास हेतु विधि विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।

14. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

15. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के आलोक में दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 30.06.2011 के बीच व्यवसाय शुरू करने वाले होटलों को विलासिता कर के उद्ग्रहण से छूट प्रदान करने के संबंध में।

15. स्वीकृत।

विधि विभाग

16. राज्य के 37 व्यवहार न्यायालयों के लिए सृजित कोर्ट मैनेजर के 37 स्वीकृत पद के लिए टंकण भूलवश अंकित वेतनमान रू० 27,000–770–33,090 के स्थान पर सही वेतनमान रू० 27,700–770–33,090 संबंधी संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। — 16. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

17. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल प्रखंड के ग्राम पिलखी स्थित 30 शैय्या वाले मातृ शिशु अस्पताल हेतु कुल 50 (पचास) नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति। — 17. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

18. राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालो में "ममता" कार्यकर्त्ता की सेवा लिये जाने की स्वीकृति। — 18. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के 89 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए कुल 801 (आठ सौ एक) नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति। — 19. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

20. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) से उत्क्रमित 176 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) को क्रियाशील करने हेतु, पूर्व स्वीकृत विभिन्न कोटि के पदों में से अनुपयोगी 1408 पदों के प्रत्यर्पण, उपयोगी 2992 पदों को अब CHC हेतु स्वीकृत मानने एवं इन उत्क्रमित CHCs हेतु आवश्यक विभिन्न कोटि के कुल 7744 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति। — 20. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

21. सुपर स्पेशियलिटी न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना तथा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में एक–एक अर्थात् कुल दो हिमेटोलॉजिस्ट के पद सृजन की स्वीकृति। — 21. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

22. श्रीमती कुसुम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा, पश्चिम चम्पारण सम्प्रति फुलपरास, मधुबनी को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 22. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

23. श्री मदार बख्श, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, शेखपुरा–सह–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शेखपुरा सम्प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, वैशाली को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 23. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

24. सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 में संशोधन के संबंध में। — 24. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(सैनिक कल्याण निदेशालय)

25. सैनिक कल्याण निदेशालय में निदेशक एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के वेतन निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में। — 25. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

26. आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय के अन्तर्गत अपराध अनुसंधान विभाग के आरक्षी प्रयोगशाला के लिए गठित बिहार राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक संवर्ग नियमावली, 2018 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 26. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

27. विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में उत्पाद अधिनियम से संबंधित मुकदमों के नमूना का जाँच हेतु सक्षम व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयोगशाला वाहक का पद सृजन के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 27. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

28. विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना में पॉलीग्राफी यूनिट एवं नारको एनालइसिस के गठन हेतु पद सृजन के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 28. **स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

29. 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एम०एस०डी०पी०) के तहत निर्माण होने वाले 289 इकाई स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत कुल 6693.12 लाख रूपये (छियासठ करोड़ तेरानवे लाख बारह हजार) एवं पूर्व में पुनरीक्षित 164.00 लाख रूपये (एक करोड़ चौसठ लाख) रूपये के अतिरिक्त वर्त्तमान अनुसूची दर 32.76 लाख (बत्तीस लाख छिहत्तर हजार) रूपये प्रति इकाई के आधार पर अन्तर राशि 2610.52 लाख (छब्बीस करोड़ दस लाख बावन हजार) रूपये सहित अर्थात कुल 9467.64 लाख (चौरानवे करोड़ सड़सठ लाख चौंसठ हजार) रूपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **29. स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

30. बिहार ई–कोर्ट फीस (एजेंसी द्वारा क्रियान्वयन) नियमावली, 2018 के स्वीकृति के संबंध में। — **30. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

31. मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में 3300 अदद् सोलर वाटर पम्प अधिष्ठापन के विरूद्ध राज्यांश की राशि 50% करने की स्वीकृति एवं पूर्व से इस मद में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **31. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

32. मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 320 अदद सोलर पम्प का केन्द्रांश की राशि 2.9487 करोड़ (दो करोड़ चौरानवे लाख सतासी हजार) रूपये का व्यय राज्यांश से करने की स्वीकृति एवं पूर्व से इस मद में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **32. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

33. नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर अंचल के मौजा–नेकपुर, थाना नं०–486, खाता सं०–12, खेसरा नं०–918, 1884, 1761, 1904, 1813, 1642, 1810, 871, 1782, 1817 एवं 1846 का रकबा क्रमशः 0.10, 0.26, 0.27, 0.18, 0.23,0.53, 0.17, 0.24, 0.39, 0.09 एवं 0.20 एकड़ कुल रकबा–2.66 एकड़ बकाश्त ठीकेदार भूमि 7,000/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 18,62,000/–रू० सलामी एवं सलामी का पांच प्रतिशत व्यावसायिक लगान अर्थात 93,100/–रू० का 25 गुणा अर्थात 23,27,500/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–41,89,500/–(एकतालीस लाख नवासी हजार पाँच सौ) रू० के भुगतान पर भूमि बैंक परियोजना हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। — **33. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

34. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बटालियन के निर्माण हेतु जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज अंचल अन्तर्गत मौजा–केवला, थाना नं०–641, खाता नं०–63, खेसरा नं०–528 एवं 35, कुल रकबा–38 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती भूमि 8,000/–(आठ हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 3,04,00,000/–(तीन करोड़ चार लाख) रू० सलामी तथा सलामी के 2 प्रतिशत का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य अर्थात 1,52,00,000/–(एक करोड़ बावन लाख) रू० सहित कुल–4,56,00,000/–(चार करोड़ छप्पन लाख) रू० के भुगतान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। 34. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

35. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित जहानाबाद जिलाधीन पथ प्रमंडल सं०–1, जहानाबाद के अन्तर्गत जहानाबाद (NH-83)–कल्पा–किनारी–धुरिया–नेरिया–चिकसी(SH-69) पथ के कि०मी० 0.0 से 17.20 तक (कुल लंबाई 17.20 कि०मी०) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य एवं RCC HL Bridge (30.0m at chainage 10.363) सहित कार्य हेतु (जॉब सं०–CRF-BR-2017-18/85) कुल ₹3176.70 लाख (इक्कतीस करोड़ छिहत्तर लाख सत्तर हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 35. **स्वीकृत।**

लघु जल संसाधन विभाग

37. वित्तीय वर्ष 2017–18 में नाबार्ड के RIDF Phase-XXIII के अन्तर्गत स्वीकृत 56 सतही सिंचाई योजनाओं, प्राक्कलित राशि 9572.241 लाख (पंचानवे करोड़ बहत्तर लाख चौबीस हजार एक सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में। 37. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

38. "बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018" की स्वीकृति के संबंध में। 38. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

39. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2018, के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 39. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

40. संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष 2016–17 के "वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" को बिहार विधान मंडल के चालू सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में। — 40. **स्वीकृत।**